

केवल E-Mail/Fax द्वारा

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥

E-Mail ID: dmgarhwal@gmail.com / PHONE- 01368-222250/Fax: 222080

संख्या: 1054/26-प्रशा0अधि0(सा0प्रशा0)/2018, दिनांक पौडी मार्च 9, 2018
"आदेश"

उपजिलाधिकारी श्रीनगर ने अपने पत्र संख्या: 726/जे0ए0/2017-18 दिनांक 16.02.2018 के द्वारा व्यासी-रौली-कुण्ठ मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्थू तहसील श्रीनगर की नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख-2 ऐसे वन जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो, खाता सं0 318 झाड़ी खसरा नं0 42 रक्बा 16.263 है0 मध्ये 11.000 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया है।

2. शासनादेश संख्या: 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल में व्यासी-रौली-कुण्ठ मोटर मार्ग के निर्माण के लिए उपजिलाधिकारी श्रीनगर की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम मरगुण पट्टी रावतस्थू तहसील श्रीनगर की नॉन0जेड0ए0 श्रेणी 9(3) ख-2 ऐसे वन जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियों के समूह पाये जाते हो, खाता सं0 318 झाड़ी खसरा नं0 42 रक्बा 16.263 है0 मध्ये 11.000 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार श्रीनगर तदनुसार अभिलेखों में अभलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, राजस्व अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- नोडल अधिकारी/प्रभामीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, पी0एग0जी0एस0वाई0(सि0ख0) वैजरा मुख्यालय सतपुली
- 5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, श्रीनगर।

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।